राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,–सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमतीनगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798e-mail:nulmup@gmail.comwebsite:www.sudaup.org

पत्रांक 875 / 241 / nulm / तीन / 2001(एसयूएसवी) दिनांक 5-1-2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / नगर आयुक्त
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई / नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं के परिचय पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय कियाकलापों का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक नियमों के लिए भारत सरकार द्वारा पथ विक्रय जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 दिनांक 04.03.2016 को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–6 (3) के अनुसार प्रत्येक पथ विक्रेता को पहचान पत्र जारी किया जायेगा।

शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्रय किया–कलापों का विनियम करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण) और पथ विक्रय विनयम नियमावली, 2017 नगर विकास विभाग के अनुभाग–9 के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अधिसूचित की गयी है।

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के प्रपत्र–7 में दिये गये प्रारूप में ही पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र प्रदान किया जाना है, परिचय पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। परिचय पत्र के पिछले हिस्से में पथ विक्रेताओं हेतु अंकित किये जाने वाले सामान्य निर्देश भी संलग्न है। यह सामान्य निर्देश सुझावात्मक है, जिसमें नगर निकाय द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

अतः उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के ही अनुरूप प्रत्येक पथ विक्रेता को परिचय पत्र प्रदान किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
3 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।
4 समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5 सहायक वेवमास्टर, सूडा को सूडा की वेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

शहरी पथ विक्रेताओं के लिए परिचय पत्र

नगर निकाय का लोगो

निकाय का नाम.......................

शहरी पथ विक्रेता का परिचय–पत्र

पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रेता विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 6(3) के अन्तर्गत

क्रमांक.............

पासपोर्ट साइज का अद्यतन रंगीन फोटो

1. पथ विक्रेता कोड सं0–..
2. पथ विक्रेता का नाम..
3. पिता / पति / पत्नी का नाम..
4. पता...
5. टेलीफोन / मोबाइल नं0..........................
6. व्यवसाय की प्रकृति....................................
7. श्रेणी (स्थिर / चल / साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता)..
8. पथ विक्रय का स्थान / वेंडिग जोन–.....................
9. पथ विक्रय की अवधि –.........से ....तक
10. परिवार के नाम निर्देशिती का नाम.......................
11. वैधता..

दिनांक:–

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय पथ विक्रय समिति

शहरी पथ विक्रेताओ हेतु निर्देश

- पथ विक्रेता ये परिचय पत्र हमेशा अपने पास रखें।
- फेरी हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर ही फेरी लगाएं।
- फेरी हेतु निर्धारित स्थान को और किसी को फेरी हेतु न दे।
- फेरी के समय यातायात अवरूध नही हो इसका ध्यान रखें।
- फेरी के स्थान को साफ सुथरा रखे।
- पथ विक्रेता स्वयं की साफ सफाई का ध्यान रखे।
- नगर निकाय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।
- समय से पजीकरण शुल्क जमा करें।
- खान पान से संबंधित वस्तुओं कों ढक कर रखें।
- नगर निकाय / जॉचकर्ता द्वारा मागें जाने पर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करें।